

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का  
प्रतिवेदन

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास  
एवं सुधार कार्यक्रम

संघ सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
2016 की प्रतिवेदन संख्या 30  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

# विषय सूची

अध्याय/शीर्षक	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	iii
कार्यकारी सार	v से x
<b>अध्याय 1—परिचय</b>	
1.1 पृष्ठ भूमि	1
1.2 आर—ए पी डी आर पी की प्रमुख विशेषताएँ	3
1.3 आर—ए पी डी आर पी का निधिकरण	6
1.4 एकीकृत विद्युत विकास योजना	6
<b>अध्याय 2—लेखापरीक्षा पद्धति</b>	
2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य	7
2.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र व नमूना	7
2.3 लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत	8
2.4 लेखापरीक्षा पद्धति	8
<b>अध्याय 3—वित्तीय प्रबंधन</b>	
3.1 निधियों का निर्गमन एवं उपयोग	9
3.2 योजना के भाग सी के अंतर्गत उपगत व्यय	10
3.3 राज्यों में निधियों के निर्गमन एवं उपयोग में चूक	11
3.4 प्रायोगिकी द्वारा कार्यों का हस्तांतरण/परित्याग	16
3.5 निधियों का विपर्थन	16
3.6 परियोजनाओं का परस्पर व्यापन	17
3.7 निर्गत की गई निधियों का अनुबंध की शर्तों के साथ सामंजस्य न होना	18
3.8 उपयोगिता प्रमाणपत्र	19
3.9 राज्य प्रायोगिकियों के बही खातों का निरीक्षण नहीं किया जाना	21
3.10 ऋण का अनुदान में रूपान्तरण	21
<b>अध्याय 4—कार्यक्रम कार्यान्वयन</b>	
4.1 प्रारम्भिक गतिविधियाँ	23
4.2 डी.पी.आर. का मूल्यांकन	25
4.3 निविदा आमंत्रित करने और कार्य प्रदान करने में देरी	27
4.4 परियोजनाओं को वरीयता न दिया जाना	28
4.5 अनुमोदित डी.पी.आर. का अनुपालन न होना (परियोजना क्षेत्र में परिवर्तन)	29
4.6 ठेकेदारों को आधारभूत ढाँचा उपलब्ध न कराने के कारण परियोजनाओं के प्रारम्भ होने में देरी	29
4.7 संचालन समिति के अनुमोदन के बिना लागत में संशोधन	29

<b>4.8</b>	डाटा केन्द्र तथा आपदा प्रतिलाभ केन्द्र	30
<b>4.9</b>	टर्नकी करारों का अपनाया न जाना	31
<b>4.10</b>	पुनर्निविदा के कारण अतिरिक्त खर्च	32
<b>4.11</b>	समरूप मदों के लिये भिन्न दरें	32
<b>4.12</b>	प्रायोगिकियों द्वारा किये गए अनुबंधों में कमियाँ	33
<b>4.13</b>	गुणवत्ता नियंत्रण	35
<b>4.14</b>	उपयुक्त प्रत्याभूति की प्राप्ति न होना	36
<b>4.15</b>	क्षमता निर्माण उपायों के लिए राज्य प्रायोगिकियों के कर्मचारियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण	39
<b>4.16</b>	‘गो—लाईव’ परियोजनाएं	40

### अध्याय 5—कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ

<b>5.1</b>	ए टी एण्ड सी हानियाँ	43
<b>5.2</b>	टी पी आई ई ए द्वारा बेसलाइन ऑँकड़ों का सत्यापन	45
<b>5.3</b>	ए टी एण्ड सी हानियों के अविश्वसनीय ऑँकड़े	45
<b>5.4</b>	ए टी एण्ड सी हानियों के परिकलन में विसंगतियाँ	47
<b>5.5</b>	ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा	49
<b>5.6</b>	विद्युत क्षेत्र में सुधार	52

### अध्याय 6—उपभोक्ता संतुष्टि

<b>6.1</b>	व्यावसायिक गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण (बिलिंग, संग्रहण आदि)	55
<b>6.2</b>	ग्राहक सेवा प्रणाली की स्थापना	55
<b>6.3</b>	सेवा कनेक्शनों का निर्धारण/उच्च परिशुद्धता/हस्तक्षेपरहित मीटरों के साथ प्रतिस्थापन न किया जाना	56
<b>6.4</b>	उचित टेल एंड वोल्टेज की आपूर्ति न किया जाना	56

### अध्याय 7—निगरानी और मूल्यांकन

<b>7.1</b>	निगरानी का विहंगावलोकन	59
<b>7.2</b>	डी.आर.सी. द्वारा माईलस्टोनों और लक्ष्यों की निगरानी न करना	60
<b>7.3</b>	राज्य स्तर पर पाए गए अन्य मामले	60

### अध्याय 8—निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

<b>8.1</b>	निष्कर्ष	63
<b>8.2</b>	अनुशंसाएं	64

### अनुलग्नक

अनुलग्नक –I से XVII

ए-1 से ए-43

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एबी-1 से एबी-5